अधिनियम में कानून के उल्लघंन के लिए शास्तियों का प्रावधान है। बाल श्रम से संबंधित कानूनों के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के यहां एक प्रवर्तन तंत्र है। केन्द्रीय सरकार आवधिक विवरणियों के माध्यम से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का प्रबोधन करती है। मृत बाल श्रमिकों के बारे में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है।

कानूनी उपायों के अलावा, जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की योजना के माध्यम से उन्हें पुनर्वासित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की योजना के अंतर्गत, अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख आदि के उपबंधों के साथ विशेष स्कूलों की स्थापना की गयी है। 1.5 लाख बच्चों को शामिल करने के लिए बाल श्रम की बहुलता वाले राज्यों में अभी तक 76 बाल श्रम परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस प्रश्न पर विचार किया था। न्यायालय ने दिनांक 10.12.96 के अपने निर्णय में अनेक निदेश दिए हैं जिनमें जोखिमकारी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने वाले नियोजकों द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी शामिल है। इन निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने पहले ही अनेक कार्रवाईयां की हैं।

Updating Labour Laws

715. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to update Labour laws; and

(b) if so, the steps taken in this regard to protect workers in the unorganised sector?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Review and updation of Labour Laws is a continuous process and amendments/ fresh legislation are made depending on the result of the review.

(b) A number of labour laws enacted for protection of workers' rights and for their welfare are also applicable to unorganised workers. Some of these laws are the Minimum Wages Act, 1948, the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966, the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979, the Beedi Workers' Welfare Fund Act, 1976 etc., Workers engaged in iron ore, manganese ore, chrome ore, limestone, dolomite and mica mines, cine industry are also covered by various Welfare Fund Acts.

The Central Government have also enacted the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 to protect the interest of workers engaged in construction industry which constitutes the second largest activity, after agriculture. It is also the endeavour of the Government to provide welfare measrues and to extend legislative protection to more and more workers in the unorganised sector.

महाराष्ट्र तथा गुजरात में बेरोजगार व्यक्ति

716. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक महाराष्ट्र और गुजरात में बेरोजगार व्यक्तियों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की गईं;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई नीति अपनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र एवं गुजरात में कार्यालय वार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर

रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, संलग्न विवरण-I एवं II में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) अप्रैल, 1997 से मार्च, 1998 के दौरान महाराष्ट्र एवं गुजरात में रोजगार कार्यालयों द्वारा रोजगार में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 18.9 एवं 67.7 हजार थी।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना एवं रोजगार आश्वासन योजना है।

गरीबी उपशमन एवं रोजगार सृजन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा एवं विश्लेषण पर हाशिम समिति की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई है एवं एन०आर०वाई०, पी०एम०आई०यू०पी०ई०पी० तथा यू०बी०एस०पी० (गरीब लोगों हेतु शहरी बुनियादी सेवाएं) को चरणबद्ध कर दिया गया है। योजना पर 1-12-1997 से कार्य शुरू कर दिया गया है। एस०जे०एस०आर०वाई० शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीब लोगों को स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने एवं मजदूरी नियोजन के माध्यम से उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराने पर बल देती है।

ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना को एक केन्द्रीय प्लान स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से गुजरात सरकार ने पंडित दीन दयाल संकलित स्वावलम्बन योजना प्रायोजित की है।

विवरण-I

31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

रोजगार कार्यालय का नाम	(हजार में)
अहमदाबाद	111.6
अकोला	129.5
अलीबाग	30.7
अमरावती	145.3
औरंगाबाद	133.5
भण्डारा	103.9
बीड	78.0
बम्बई	656.8
बुलढाना	73.2
चन्द्रपुर	132.3
धूले	70.8
गढ़चिरोली	39.1
घाटकोपर	52.5
जलगांव	123.3
जालना	35.4
कोल्हापुर	116.1
लातूर	83.2
नागपुर	254.6
नान्देड	106.5
नासिक	139.6
उस्मानाबाद	56.9
पानवेल	35.7
पिम्परी	33.6
पुणे	235.7
परभानी	71.8
रत्नागिरि	40.2
सांगली	77.9
सतारा	89.3
शोलापुर	114.6
सिंधुदुर्ग	43.5
थाने	186.4
वर्धा	78.0
येतगल	121.6
योग	3801.1

विवरण-II

31 मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार गुजरात में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

रोजगार कार्यालय का नाम	(हजार में)
अमरेली	18.0
अहमदाबाद (डी०ई०ई०)	140.4
अहवा-डांगस्	3.7

रोजगार कार्यालय का नाम	(हजार में)
बड़ौदा	68.2
भावनगर	31.5
भरूच	33.7
भुज-कुच	29.3
छोटा-उदयपुर	13.7
धर्मपुर	16.4
दोहद	19.4
गांधीनगर	24.8
गोधरा	35.3
हिम्मतनगर	43.2
जामनगर	30.1
जूनागढ	49.1
माण्डवी	7.7
महसाणा	69.9
नाडियाड	77.7
पलानपुर	34.3
पौरबन्दर	11.4
राजकोट	56.7
राजपिप्ला	8.8
सोनगढ़	8.6
सूरत	32.2
सुरेन्द्रानगर	30.0
वलसाड	19.1
खेडब्रह्मा	8.6
वी॰ वी॰ नगर	2.3
पाटन	3.5
योग	927.6

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शिक्षा प्राप्ति हेतु विदेश भेजा जाना

717. **श्री चुन्नी लाल चौधरी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों को शिक्षा हेतु विदेश भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान शिक्षा हेतु विदेश भेजे गए छात्रों की संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) इन वर्षों में शिक्षा के लिए विदेश भेजे गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	छात्रों की संख्या
1994-95	20
1995-96	20
1996-97	11
1997-98	07

Grant to NGOs

718. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of SOCIAL AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that NGOs have become a dirty word;

(b) how many NGOs are working in India;

(c) how many of them get Government money and how much;

(d) how many of them get foreign money and how much; and

(e) how many get both, Government and Foreign money and in what proportion?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) No, Sir. Government welcomes and encourages organised voluntary effort in implementing various welfare schemes by extending financial and other assistance to the N.G.Os.

(b) The information is not being maintained centrally.

(c) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.